

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 11/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2022

सा.का.नि.... (अ), - केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 04/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 06 जुलाई, 2019, जिसे सं सा.का.नि. 487 (अ), तारीख 06 जुलाई, 2019 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई भी बात निर्यात के लिए क्लीयर किए गए मालो पर लागू नहीं होगी।”

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फाइल संख्या 354/15/2022-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानरे)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 04/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 06 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 487 (अ), तारीख 06 जुलाई, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 21 मई, 2022, जिसे सा.का.नि. 376 (अ) तारीख 21 मई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।